




Govt. Naveen College Bori, Dist. Durg (C.G.)

Faculty Details of Session 2019-20

S.No.	Name of Faculty	Department	Highest Qualification
1	Dr. Tapas Mukherjee	English	PhD
2	Mrs. Vaidehi Sharma	Geography	MPhil
3	Dr. Asha Deewan	Hindi	PhD
4	Dr. Amarnath Sharma	Sociology	PhD
5	Dr. Manjulata Sao	Commerce	PhD
6	Dr. Meena Chakraborty	Chemistry	PhD
7	Dr. Hansraj Thakur	Economics	PhD
8	Dr. Sangeeta Devi Sharma	Botany	PhD
9	Mrs. Kavita Thakur	Zoology	M.Sc.
10	Mr. Samir Jaiswal	Commerce	M.Phil
11	Ms. Pinti	Physics	M.Sc.
12	Ms. Dolly	Maths	M.Sc.
13	Dr. Shreshtha Shukla	Sociology	PhD
14	Mr. Devesh Gajpal	Commerce	M.Com.


Principal
Govt. Naveen College Bori
Dist. Durg (C.G.)

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर रायपुर (छ.ग.)

/03/आउशि/ब.योजना/2012

रायपुर दिनांक 09.07.2012

कमांक
प्रति

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय बोरी
जिला- दुर्ग (छ.ग.)

शासकीय महाविद्यालय बोरी जिला दुर्ग में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने
वादात् ।

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक /2566/एफ 3-65 / 2011 /
08-1 रायपुर, दिनांक 05.07.2012

---000---

राज्य शासन के संदर्भित आदेशानुसार बोरी जिला -धमतरी में नवीन महाविद्यालय
प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है । महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय
चातु शैक्षणिक सत्र 2012-13 में प्रारंभ करने तथा कुल 19 पदों के सृजन की स्वीकृति वित्त विभाग की
यू.ओ. कमांक 269/1001007/वित्त विभाग/ब-3/2012, दिनांक 29.06.2012 द्वारा सहमति प्रदान की
गई है । उक्त पदों का वर्गीकरण विवरण निम्नानुसार है -

क्र	पदनाम	पदसंख्या	वेतनमान
शैक्षणिक पद			
1	प्राचार्य	01	37400-87000 AGP रु 10000
2	सहायक प्राध्यापक (अ) विज्ञान संकाय (बायो.) (रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र)	03	15600-39100 AGP रु 6000
	(ब) कला संकाय (हिन्दी अंग्रेजी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल)	05	15600-39100 AGP रु 6000
	(द) वाणिज्य संकाय	02	15600-39100 AGP रु 6000
अशैक्षणिक पद			
3	सहायक ग्रेड-1	01	5200-20200 AGP रु 2800
4	सहायक ग्रेड-2	01	5200-20200 AGP रु 2400
5	सहायक ग्रेड-3	01	5200-20200 AGP रु 1900
✓ 6	प्रयोगशाला तकनीशियन	03	5200-20200 AGP रु 2400
	भूत्य	02	4750- 7440 AGP रु 1300

Spawisur
Principal
Govt. Neveen College Bori
Dist. Durg (C.G.)

m

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय-बोरी,जिला - दुर्ग (छ.ग.)

www.govtcollegebori.com
Email-principalbori@gmail.com

दिनांक 22/08/2017

दिनांक 22/08/2017

ति

भव्युक्त,
अतिरिक्त सहायक प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय एवं तृतीय मंच,
दुर्ग नया रायपुर 15 ग

1. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना
2. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय पत्र नं एफ-1-40/2017-38-1 नया रायपुर
दिनांक 14/08/2017

संदर्भित पत्र के द्वारा जी. हराराज ठाकुर सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र का स्थानांतरण शासकीय महाविद्यालय कुसमी, जिला बलरामपुर से शासकीय महाविद्यालय बोरी, जिला-दुर्ग में होने के फलस्वरूप आज दिनांक 24/08/2017 को पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण कराया गया।


(डॉ.आनंद कुमार विश्वकर्मा)
PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE BORI,
DIST.- DURG


दि 29/08/2017

बोरी दिनांक 2/9/2017

ति

विशेष सहायक माननीय मंत्री जी उच्चशिक्षा छ.ग.शासन मंत्रालय नया रायपुर
स्टॉफ ऑफिसर अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा मंत्रालय नया रायपुर
आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रायती भवन नया रायपुर।
जिला कलेक्टर दुर्ग का सूचनार्थ।
प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय कुसमी, जिला बलरामपुर को सूचनार्थ।
जिला कोषालय अधिकारी दुर्ग का सूचनार्थ।
नहायकराकार छ.ग. शासन रायपुर को सूचनार्थ।
✓ डॉ. हराराज ठाकुर सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र शास.महा बोरी को सूचनार्थ।
स्थापना/लेखा: शास.महा. बोरी जिला दुर्ग को सूचनार्थ।
अकिमता नरबी।


Principal
Govt. Neveen College Bori
Dist. Durg (C.G.)


(डॉ.आनंद कुमार विश्वकर्मा)
PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE BORI,
DIST.- DURG

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय-बोरी, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

www.govtcollegebori.com
Email-principalbori@gmail.com

क. / 288 / स्था. / 2016

बोरी, दिनांक 08 / 08 / 2016

प्रति,

आयुक्त,
उच्चशिक्षा संचालनालय
ब्लाक सी 30द्वितीय एवं तृतीय तल
इन्द्रावती भवन नया रायपुर छ.ग.

विषय- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना।

संदर्भ- छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय पत्र क्र.एफ-1-22/2016/38-1
रायपुर दिनांक 30/07/2016

विषयान्तगत लेख है कि श्रीमती मीना चक्रवर्ती इस महाविद्यालय में रिक्त सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र के पद पर उक्त आदेश के परिपालन में आज दिनांक 08/08/2016 को पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण कराया गया।

Neveen Kulkarni
(डॉ. अनंद कुमार विश्वकर्मा)
Principal

Govt. College, Bori
Dist.-Durg (C.G.)

बोरी दिनांक 08 / 08 / 2016

पृ.क. 289 / स्था. / 2016

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राज भवन रायपुर।
2. प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय, नया रायपुर।
3. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी उच्चशिक्षा छ.ग.शासन मंत्रालय नया रायपुर।
4. मुख्य सचिव के अवर सचिव छ.ग.शासन मंत्रालय नया रायपुर।
5. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
6. निज सचिव, छ.ग.शासन उच्चशिक्षा विभाग नया रायपुर।
7. अपर संचालक, इन्द्रावती भवन नया रायपुर छ.ग.
8. विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, उच्चशिक्षा छ.ग.शासन मंत्रालय नया रायपुर।
9. जिला कोषालय अधिकारी दुर्ग को सूचनार्थ।
10. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय दल्लीराजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.)।
11. श्रीमती मीना चक्रवर्ती सहायक प्राध्यापक रसायनशास्त्र शास.महा. बोरी को सूचनार्थ।
12. स्थापना/लेखा. शास.महा. बोरी जिला दुर्ग
13. व्यक्तिगत नरथी।

Neveen Kulkarni
Principal
Govt. Neveen College Bori
Dist. Durg (C.G.)

Neveen Kulkarni
(डॉ. अनंद कुमार विश्वकर्मा)
Principal
Govt. College, Bori
Dist.-Durg (C.G.)

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 13/02/2015

क्रमांक एफ 1-25/2014/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 2360/95/2010/15/चयन दिनांक 4.10.2012 एवं क्रमांक 1838A/95/2010/चयन, रायपुर दिनांक 03.11.2014 द्वारा सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) के पद हेतु जारी चयन सूची में अर्थात् निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रुपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रुपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	श्रीमती सगीता देवी शर्मा, एच 2/1, 5 बिल्डिंग दुर्ग छ ग 491001	शासकीय महाविद्यालय बोरी दुर्ग	अनारक्षित
2	मिनाक्षी भारद्वाज, 1/1 सडक 7 बी मैत्रीनगर रिसाली, भिलाई जिला दुर्ग छ ग 490006	शासकीय नवीन महाविद्यालय गोबरा नवापारा जि. रायपुर	अनारक्षित
3	श्रीमती विजय लक्ष्मी नायडू, w/o श्री व्ही राजेन्द्र नायडू, मकान नं. 5 तार्ड नं. 1 अजोरी पाली डभरा रोड नायडू इजिनियरिंग वर्क्स खरसिया जिला-रायगढ़ छ ग 496661	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुंठपुर जिला-कोरिया	अनारक्षित
4	सोमेश मिश्रा, मकान नं 9, सकेत भवन, विकास नगर लाखोली, राजनादगांव छ ग 491441	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनादगांव	अनारक्षित
5	कु नीलिमा पाण्डेय, c/o स्व श्री आर पी पाण्डेय लोहार पारा चापा जिला-जाजगीर चापा छ ग 495671	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनादगांव	अनारक्षित
6	श्री सतपथ कुमार पाण्डेय, डालमिया छात्रावास रू न 143 काशी हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी उ प्र 221005	शासकीय महाविद्यालय जामगांव आर जिला दुर्ग	अनारक्षित
7	श्री भूषण कुमार, c/o श्री अजित कुमार चौरसिया क्या. न 1458/3 रेल्वे वायरलेस कालोनी बिलासपुर छ.ग 495001	शासकीय महाविद्यालय बर्लीदा, जिला-जाजगीर	अनारक्षित
8	श्री सजय कुमार मिश्रा, c/o कु. धनवंति मिश्रा किल्ला पारा खैरागढ़ जिला राजनादगांव छ ग 491441	शासकीय महाविद्यालय चारामा जि.कांकेर	अनारक्षित
9	श्री रामन सिंह मैत्री, ग्राम सराईपाली, पो कनकबीरा तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़ छ ग 496445	शासकीय महाविद्यालय हरौद जाजगीर	पि.वर्ग
10	श्री सतीश कुमार सोन, सडक नं 2 श्याम नगर पोलसाय पारा दुर्ग छ ग 491001	शासकीय महाविद्यालय वेमेशरा	पि.वर्ग
11	श्री सुरेन्द्रपाल दशरथ, ग्राम सरा. पो सारसकेला, ब्हाय डभरा जिला जाजगीर चापा छ ग 495688	नवीन शासकीय महाविद्यालय जाशी जिला रायगढ़	पि.वर्ग

2


Asst. Neveer College Bstl
Dist. Durg (C.G.)

12. श्री हरमोहन ०० श्री अश्विनी प्रसाद ...
 श्री हरि मिश्र ...
 491001
13. श्री प्रहलाद कुमार ...
 ...
 495677

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी -

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तितम (Provisional) है
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से मन्त्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दायेंदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वयं छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियुक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियुक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेंगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अशदायी पेशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।




 Principal
 Govt. Neveen College Bori
 Dist. Durg (C.G.)

- 10 यह नियुक्ति पूर्णतः प्रतिलिपि है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/मूल्य देकर समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार सबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकता है।
- 11 नियुक्ति किये गए अभ्यार्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयं निरस्त माना जाएगा।
- 12 इस आदेश में कोई टकण राकधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Sd/-
(श्रीमती दुर्गा देवांगन)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्र.एफ 1-25/2014/38-1
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 13/02/2015

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (6) निज सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (7) कलेक्टर, जिला (छ.ग.)।
- (8) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1838 ए/95/2010/चयन, दिनांक 3.11.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (10) संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (12) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (13) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अम्बिकापुर/जगदलपुर (छ.ग.)।
- (14) संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
- (15) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला (छ.ग.)।
- (16) सर्व संबंधित श्रीमती सुमति देवी शर्मा, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (17) आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Principal

Govt. Neveen College Bori
Dist. Durg (C.G.)